परिशिष्ट-ए

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 3584

द्वारा माननीय विधायक - श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक

विधानसभा क्षेत्र बिजावर अंतर्गत विकासखण्ड राजनगर के ग्राम पारवा में स्थापित अस्थायी/स्थायी क्रशर की जानकारी

फर्म व उसके साझेदारों का नाम व कंपनी का नाम जिनके द्वारा क्रशर स्थापित किया गया है	ग्राम पारवा में स्थापित केशर स्थल का विवरण	क्रशर कब से संचालित है	क्या क्रशर स्थल पर खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति (*Mineral Dealer Licence*) प्राप्त किया गया है यदि नहीं तो क्या कार्यवाही की गयी है	स्थापित क्रशर स्थल पर गिट्टी बनाने के लिए पत्थर कहाँ से प्राप्त किया जाता है
मेसर्स जय माँ भद्रकाली कामतानाथ कंसट्रक्शन कंपनी (साझेदार श्री दीपप्रकाश द्विवेदी तनय श्री सूरज प्रसाद द्विवेदी एवं श्रीमती ऊषा द्विवेदी पत्नी श्री दीपप्रकाश द्विवेदी, श्री लक्ष्मण प्रसाद मिश्रा तनय श्री रामाधीन मिश्रा, श्रीमती सावित्री मिश्रा पत्नी श्री लक्ष्मण प्रसाद मिश्रा)	खसरा क्रमाँक 151/1/ख रकबा 2.023 हेक्टेयर के अंश भाग में।	म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम में केवल क्रशर स्थापित किये जाने की अनुमति दिये जाने का प्रावधान नहीं है अतः तिथि बता पाना संभव नहीं है। परन्तु स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर लगभग 6 वर्षो से स्थापित है।	भण्डारण की अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है। अवैध भण्डारण का प्रकरण तैयार किया गया है जिसे सक्षम न्यायालय में पंजीबद्ध करने हेतु शीघ्र भेजा जावेगा।	ग्राम पारवा में श्रीमती ऊषा द्विवेदी पत्नी श्री दीपप्रकाश द्विवेदी, निवासी छतरपुर को रकबा 3.000 हेक्टेयर क्षेत्र पर एवं श्रीमती सावित्री मिश्रा पत्नी श्री लक्ष्मण प्रसाद मिश्रा निवासी पारवा को रकबा 4.000 हेक्टेयर क्षेत्र पर गौण खनिज पत्थर का स्वीकृत उत्खनन पट्टा क्षेत्र से पत्थर गिट्टी निर्माण हेतु प्राप्त किया जाता है। ये दोनो उत्खनिपट्टे ग्राम पारवा में खसरा क्रमाँक 1288 के अंश भाग में पृथक-पृथक स्वीकृत हैं। इन उत्खनिपट्टों में कोई क्रशर स्थापित नहीं है।

परिशिष्ट - 38

क्र.	फर्म व उसके साझेदारों का नाम व कंपनी का नाम जिनके द्वारा क्रशर स्थापित किया गया है	ग्राम पारवा में स्थापित केशर स्थल का विवरण	क्रशर कब से संचालित है	क्या क्रशर स्थल पर खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति (Mineral Dealer Licence) प्राप्त किया गया है यदि नहीं तो क्या कार्यवाही की गयी है	स्थापित क्रशर स्थल पर गिट्टी बनाने के लिए पत्थर कहाँ से प्राप्त किया जाता है
	मेसर्स पी.एन.सी. इन्फ्राटेक आगरा (उ.प्र.)	खसरा क्रमाँक 116/1, 116/1/क, 117/5, 117/4 कुल रकबा 3.941 हेक्टेयर के अंश भाग में क्रशर स्थापित किया गया है।	म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम में केवल क्रशर स्थापित किये जाने की अनुमति दिये जाने का प्रावधान नहीं है अतः तिथि बता पाना संभव नहीं है। परन्तु स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर लगभग 2 माह से स्थापित है।	भण्डारण की अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है। अवैध भण्डारण का प्रकरण तैयार किया गया है जिसे सक्षम न्यायालय में पंजीबद्ध करने हेतु शीघ्र भेजा जावेगा।	ग्राम पारवा में श्रीमती ऊषा द्विवेदी पत्नी श्री दीपप्रकाश द्विवेदी, निवासी छतरपुर को रकबा 3.000 हेक्टेयर क्षेत्र पर एवं श्रीमती सावित्री मिश्रा पत्नी श्री लक्ष्मण प्रसाद मिश्रा निवासी पारवा को रकबा 4.000 हेक्टेयर क्षेत्र पर गौण खनिज पत्थर का स्वीकृत उत्खनन पट्टा क्षेत्र से पत्थर गिट्टी निर्माण हेतु प्राप्त किया जाता है। ये दोनो उत्खनिपट्टे ग्राम पारवा में खसरा क्रमाँक 1288 के अंश भाग में पृथक-पृथक स्वीकृत हैं। इन उत्खनिपट्टों में कोई क्रशर स्थापित नहीं है।

टीप – ग्राम पारवा में श्रीमती ऊषा द्विवेदी एवं श्रीमती सावित्री मिश्रा के अलावा श्री लक्ष्मण प्रसाद मिश्रा को भी खसरा क्रमाँक 1310 के रकबा 4.000 हेक्टेयर क्षेत्र पर गौण खनिज पत्थर का उत्खनन पट्टा स्वीकृत है। यह उत्खनन पट्टा वर्तमान में बंद है। उपरोक्त तीनों उत्खनन पट्टा धारियों द्वारा ग्राम परवा में स्वीकृत लीज स्थल पर कोई क्रशर स्थापित नहीं किया गया है

सहायक खनि अधिकारी
वास्ते कलेक्टर (खनि शाखा)
जिला – छतरपुर (म.प्र.)

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन
खनिज साधन विभाग

D:\2018\MISC\VIDHANSABHA\VIDHANSABHA-FEB - MARCH 2018.wbk